प्रेसनोट

गौ हत्या मैं वांछित पुरुस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 29.09.2020 को समय 06.15 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा के मु0अ0सं0 262/20 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधि0 उ0प्र0 में दिनांक 15.09.2020 से लगातार वांछित चल रहे 15000/- रुपये के पुरुस्कार घोषित अपराधी को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ डा0 अनिल मिश्र के द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ एवं क्षेत्राधिकारी कायमगंज के कुशल निर्देशन में उक्त गिरफ्तारी की गयी। दि0 15.09.2020 कोतवाली कायमगंज स्थित कस्बा कायमगंज के मो0 चिलाका में अभियुक्त शानू कुरैशी के द्वारा गौकशी की घटना की गयी थी। पुलिस के द्वारा दी गयी दबिश के दौरान शानू कुरैशी फरार हो गया था। जिसकी तलाश कायमगंज पुलिस लगातार कर रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अभि0 शानू के ऊपर 15000/- रुपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। आज दिनांक 29.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर जब शानू फतेहगढ कचहरी में हाजिर होने की फिराक में गालिब पुलिया पर वाहन का इन्तजार कर रहा था तो उसे कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिर0 कर लिया गया। अभि0 शानू कुरैशी उपरोक्त के विरुद्ध कोतवाली कायमगंज मे मु0अ0सं0 273/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त –

1. शानू कुरैशी पुत्र इदरीश कुरैशी नि0 मो0 चिलाका कोतवाली कायमगंज जनपद फर्रु0 उम्र 26 वर्ष

पुरुस्कार घोषित धनराशी - 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये)

बरामदगी – एक अदद चाकू नाजायज

कोतवाली कायमगंज
जनपद फर्रूखाबाद
स्थापित वर्ष - 1960
मो. नं. - 9454403325